Summary Sheet for Centralize filling

(अधिवक्ता/पी.पी./ए.पी.पी./पक्षकार द्वारा भरे जाने हेतु)

Annexure-I

ायालय व अधिवक्ता बाबत सूचना

ायालय

धिवक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 3/08/2023 दायर दिनांकः— 25/04/2024

जीसीएमएस न0ः—2024/105 निर्णय दिनांक 15/05/2025

वउनवान

1. अनीता पत्नि जयपपाल सिंह जाति जाट निवासी रानौता तहसील कठूमर
2. सुनीता पत्नि अजयपालसिंह जाति जाट निवासी रानौता तहसील कठूमर
3. गंगादेवी पुत्री अरजन जाति जाट निवासी रानौता तहसील कठूमर
4. ओमवती पुत्री अरजन जाति जाट निवासी रानौता तहसील कठूमर

जिला अलवर।

———प्रार्थीगण

बनाम.

1. तहसीलदार साहव तहसील कठूमर जिला अलवर।

————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः—श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा— अधिवक्ता प्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 119 रकबा 0.39 हैक्ट0 वाके ग्राम रानौता तहसील कठूमर मे स्थित है। जो आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की दर्ज रेकॉर्ड आराजी है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन उक्त आराजी की सीमाये खुली होने अथवा तारबन्दी व पत्थरगढी नहीं होने के कारण पडौसी खातेदार ताकत के वल पर प्रार्थीगण को परेशान करते रहते है तथा काश्त करने में बाधा व व्यवधान पैदा करते है तथा खेत की डौलों को तोड कर उक्त आराजी की जमीन को अपने खेत की जमीन में मिला लेते है। पडौसी खातेदार ने जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 119 वाके ग्राम रानोता पर कब्जा कर रखा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि दोनों के खेतों की पैमाईश करवा के बीच में

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

डौर डाल देते है, तो अप्रार्थी ने पैमाईश कें लिये भी मना कर दिया। जिस कारण प्रार्थीगण स्वयं प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी खसरा नम्बर 119 की पैमाइश करा कर दोनों खेतों के मध्य पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये तामील नोटिस रजि0 डाक भिजवाया गया। दिनांक 06,05.2025 को अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त आराजी की मेढ हो रही है लेकिन तारबन्दी व पत्थरगढी नहीं हो रही है यदि उक्त आराजी का सीमा ज्ञान कराकर पत्थरगढी करा दी जाती है तो प्रार्थीगण व पडोसी खातेदार के मध्य झगडे की संभावना नहीं रहेगी प्रार्थी पत्थरगढी कराये जाने का अधिकारी है अप्रार्थी को कोई ऐतराज नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल व छाया प्रति नक्शा ट्रेस वाके ग्राम रानोता की छाया प्रति पेश की है, जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली पर बहस वकुलाय सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस पेश कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये उक्त आराजी में सीमाज्ञान कराकर पत्थगढी कराये जाने का निवेदन किया एवं अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर पत्थगढी कराये जाने से दोना पक्षों के मध्य झगडे की संभावना खत्म होना एवं पत्थरगढी किये जाने पर कोई ऐतराज नहीं जताया गया।

हमने पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की लिखित बहस पर मनन किया गया मुताबिक जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 119 ग्राम रानोता तहसील कठूमर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक नक्शा ट्रेस इस आराजी के पडोसी खातेदार की खातेदारी में दर्ज है। सीमाये खुली होने अथवा तारबन्दी व पत्थरगढी नहीं होने के कारण पडौसी खातेदार ताकत के वल पर प्रार्थीगण को परेशान करते रहते है तथा काश्त करने में बाधा व व्यवधान पैदा करते है तथा खेत की डौलों को तोड कर उक्त आराजी की जमीन को अपने खेत की जमीन में मिला लेते है। पडौसी खातेदार ने जबरन प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 119 वाके ग्राम रानोता की खातेदारी में है।

पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की लिखित बहस पढने व सुनने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम, 1956_स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 119 रकबा 0.39 हैक्ट वाके ग्राम रानोता की पैमाइश कर पडोसी खातेदार के बीच विधि के अनुसार पैमाइस/सीमाज्ञान कराकर प्रार्थीगण के खर्चे पर पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०